न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी0ए0/1013/2003/चुरू

1. जोराराम पुत्र सुरजाराम मृतक जरिये वारिसान

   1/1 माली देवी पत्नि

   1/2 कुन्दनमल पुत्र

   1/3 श्यामलाल पुत्र

   1/4 पवन कुमार पुत्र

   1/5 मुन्नी देवी पुत्री

2. पिरागचंद पुत्र मानाराम मृतक जरिये वारिसान

   2/1 खिवरणी देवी पत्नि

   2/2 रामस्वरूप पुत्र

   2/3 रामअवतार पुत्र

   2/4 लालचंद पुत्र

   2/5 भगवानाराम पुत्र

समस्त जातिगण ब्राहम्ण निवासीगण साहवा तहसील तारानगर जिला चुरू।

अपीलांटस....

बनाम

1. राजस्थान सरकार

2. गुलाब कंवर पत्नि मदनसिंह राजपूत निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चुरू।

रेस्पो0 ....

खण्डपीठ
श्री आर0डी0मीणा, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितिः–
श्री राजेश गौतम, अभिभाषक अपीलांट
श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अति0 राजकीय अभिभाषक
श्री विरेन्द्र सिंह राठौड, अभिभाषक रेस्पो0

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 02.07.25

1- यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व निर्णय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर दिनांक 18-01-2003 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट्स ने विचारण न्यायालय कलेक्टर, तारानगर के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,1955 का इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी ख0न0 329 रकबा 33 बीघा भूमि जो कि नयी पैमाइश के पश्चात कथित रूप से ख0न0 1366/440 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा भूमि के रूप में परिवर्तित हुई । उक्त आराजी उनके पूर्वजों ईशर पुत्र लखीराम, धना व माना पुत्र किशना, सुरजा पुत्र मूला, खीवा पुत्र हजारी की संयुक्त खातेदारी एवं काश्तकारी की भूमि थी। वादीगण के पूर्वजों ने अपनी जीवनकाल में ही विवादित कृषि भूमि भाई बंटवारे में मानाराम जो वादी पिरागचन्द का पिता था व सुरजाराम जो वादी जोराराम का पिता को दे दी। उक्त भूमि मानाराम व सुरजाराम के बराबर अर्थात आधी-आधी हिस्से में आयी। जिस पर संवत 2020 से वादीगण निरंतर बिना किसी बाधा के काबिज काश्त चले आ है। उक्त विवादित आराजी दौराने भू प्रबन्ध सिवायचक दर्ज हो जाने पर दिनांक 23.6.1966 को प्रतिवादी संख्या 2 गुलाब कंवर पत्नि मदनसिंह राजपूत को आवंटित हो गई। उक्त आवंटन गुलाब कंवर के पति मदनसिंह द्वारा अविधिक रूप से विवादित आराजी को आराजीराज दर्ज करवाकर आवंटित करवायी गयी। उक्त विवादित आराजी का गुलाब कंवर के नाम दिनांक 23.6.1966 को किया गया आवंटन अवैध होने के कारण दिनांक 05.12.1968 को जिलाधीश द्वारा निरस्त किया जा चुका है। इस प्रकार गुलाब कंवर का इस भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा है। केवल आधारहीन राजस्व रिकार्ड में उसके नाम गैर खातेदारी का इन्द्राज है। वादीगण ने दिनांक 20.11.1984 को सहायक कलेक्टर, राजगढ मे समक्ष दावा पेश किया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को विवादित आराजी का आवंटन होने के बावजूद भी पक्षकार नहीं बनाया सिर्फ तहसीलदार, तारानगर को पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया। प्रतिवादी सं01 ने जवाबदावा में कथन किया कि ख0न0 1366/440 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा में गैर खातेदार गुलाब कंवर पत्नि मदन सिंह राजपूत संवत 2031-2034 में दर्ज है। फिर भी उसे पक्षकार नहीं बनाया गया ।

दावा वादीगण दिनांक 30.12.1986 को डिक्री हो गया व ख0न0 1366/440 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा पर वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 गुलाब कंवर द्वारा अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। जो दिनांक 13.12.1995 को स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.1986 को निरस्त करते हुये प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर को प्रतिप्रेषित किया गया। प्रकरण प्रतिप्रेषित होने पर दिनांक 28.5.1997 को संशोधित वाद पेश किया गया। जिसका जवाबदावा प्रतिवादी गुलाब कंवर की ओर से मय काउन्टर क्लेम दिनांक 27.11.1997 को पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दावा, जवाबदावा व काउन्टर क्लेम के आधार पर चार तनकीयात का विरचित करते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2002 से वादीगण का वाद साबित नहीं होने खारिज करते हुये प्रतिवादी संख्या 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुये उसे विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2002 से व्यथित होकर वादीगण/अपीलांट्स ने प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2003 अपील को निरस्त करते हुये विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 16..05.2002 को बहाल रखा। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01. 2003 से ग्रसित होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील मंडल में पेश की गयी है।

3- उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गयी ।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त आराजी उनके पूर्वजों ईशर पुत्र लखीराम, धना व माना पुत्र किशना, सुरजा पुत्र मूला, खीवा पुत्र हजारी की संयुक्त खातेदारी एवं काश्तकारी की भूमि थी। वादीगण के पूर्वजों ने अपनी जीवनकाल में ही विवादित कृषि भूमि भाई बंटवारे में मानाराम जो वादी पिरागचन्द का पिता था व सुरजाराम जो वादी जोराराम का पिता को दे दी। उक्त भूमि मानाराम व सुरजाराम के बराबर अर्थात आधी-आधी हिस्से में आयी। जिस पर संवत 2020 से वादीगण/अपीलांट्स निरंतर बिना किसी बाधा के काबिज काश्त चले आ है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि ख0न0

1366/440 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा जिसके गत ख0न0 329 रकबा 33 बीघा है, जो ई.एक्स. 3 व 4 नकल जमाबंदी से साबित है, को प्रतिवादी/रेस्पो0 गुलाब कंवर के पति मदनसिंह द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर सिवायचक दर्ज करवा लिया। तत्पश्चात दिनांक 23.6.1966 को प्रतिवादी संख्या 2 गुलाब कंवर पत्नि मदनसिंह राजपूत को उक्त विवादित आराजी का आवंटन करवा दिया गया। उक्त आवंटन गुलाब कंवर के पति मदनसिंह द्वारा अविधिक रूप से करवाया गया था। उक्त विवादित आराजी का गुलाब कंवर के नाम दिनांक 23.6.1966 को किया गया आवंटन अवैध होने के कारण दिनांक 05.12.1968 को जिलाधीश, चूरू द्वारा निरस्त किया जा चुका है। इस प्रकार गुलाब कंवर का इस भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रतिवादी/रेस्पो0 गुलाब कंवर को विवादित आराजी का आवंटन न होकर अन्य ख0न0 1366/447 का आवंटन किया गया है जो आवंटन आदेश से स्पष्ट होता है। इसके बावजूद भी उसका आवंटन 1366/440 मानते हुये उसका काउन्टर क्लेम को स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय ने उसे खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय से विचारण न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा है, जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भूमि के खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना विवादित भूमि को नियम विरूद्व जाकर राजकीय भूमि दर्ज कर दिया गया और भूमि सिवायचक दर्ज होने पर उसका आवंटन प्रतिवादी/रेस्पो0 को गैर कानूनी तरीके से कर दिया गया है। उनके अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि दिनांक 10.01.1969 को तहसीलदार तारानगर ने भू0 अभिलेख निरीक्षक को एक आदेश दिया जिसमें जिलाधीश, चुरू के आदेश का हवाला देते हुये गुलाब कंवर को किया गया भूमि आवंटन निरस्त करने व उसे बेदखल कर रिकार्ड में अमलदराम बाबत लिखा गया। विद्वान अभिभाषक तर्क दिया कि प्रतिवादी गुलाब कंवर ने कभी भी विवादित आरजी ख0न0 1366/440 की भूमि पर काश्त नहीं की है। उन्होने तर्क दिया कि प्रतिवादी/रेस्पो0 का काउन्टर क्लेम भी साबित नहीं होता है क्योंकि प्रतिवादी/रेस्पां0 गुलाब कंवर ने अवैध रूप से विवादित आराजी का आवंटन करवाया था यह भूमि वादीगण/अपीलांटस के पूर्वजों के नाम खातेदारी व कब्जा काश्त में दर्ज थी। प्रतिवादी/रेस्पो0 ने विवादित आराजी पर कभी भी काश्त नहीं की है। प्रतिवादी/रेस्पो0 हमेशा चुरू में रहती है तथा वहीं की मतदाता सूची में उनका नाम अंकित है। इसलिए विवादित आराजी पर प्रतिवादी/रेस्पो0 का कब्जा काश्त साबित नहीं होता है। परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने

उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये अपना निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5- विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी गत ख0न0 329 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा जिसका हाल ख0न0 1366/440 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा भूमि रेस्पो0/प्रतिवादी गुलाब कंवर को वैधानिक तौर पर आवंटित की गयी थी। इससे पूर्व विवादित आराजी सिवायचक भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि दिनांक 05.12.1968 को जिलाधीश चुरू द्वारा उक्त आवंटन दिनांक 23.6.1966 को निरस्त करने का तथ्य मिथ्या व झूठा है इसका कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। जिलाधीश, चूरू के समक्ष 14(4) का प्रकरण तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसका प्रार्थना पत्र 42/79 दर्ज हुआ एवं इसका निर्णय जिलाधीश, चूरू ने दिनांक 30.11.82 को किया जिसमें आवंटन की पुष्टि की गई व आवंटन को वैध माना गया तथा तहसीलदार का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया। आवंटन किये जाने की दिनांक 23.6.1966 से आवंटित भूमि को प्रतिवादी/रेस्पो0 गुलाब कंवर ही काश्त करती आ रही है तथा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी/रेस्पो0 गैर खातेदार दर्ज है। इस आधार पर वह विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की हकदार थी। जिसे विचारण न्यायालय अपने निर्णय से उसे खातेदारी हक प्रदान किये जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में यथावत रखा है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा प्रतिवादी/रेस्पो0 गुलाब कंवर को ख0न0 1366/440 की भूमि का ही आवंटन किया गया है। जिसका आदेश ई0एक्स0- 2ए है इसमें गुलाब कंवर के नाम आवंटन दिनांक 23.6.1966 को किया गया, में ख0न0 1366/447 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा गलत अंकित है जबकि राजस्व रिकार्ड में ख0न0 1366/440 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा है जो कि नकल जमाबंदी ई0एक्स ए.4 से ई0एक्स0ए.8 तथा खसरा गिरदावरी नकल ई0एक्स0 10 से 16 से साबित होता है। संवत 2022 से 2043 तक की जमाबंदी ई0एक्स0-4 से ई0एक्स0-8 में प्रतिवादी/रेस्पो0 गुलाब कंवर गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। उक्त राजस्व रिकार्ड से उसका कब्जा काश्त स्वतः ही साबित होता है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि दिनांक 09.6.1990 को जोराराम व पिराग चन्द सहायक कलेक्टर, राजगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.86 के आधार पर बराबर के खातेदार दर्ज किये गये। उक्त निर्णय व डिक्री अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.

95 को निरस्त की जा चुकी है। इसलिए दिनांक 09.6.1990 हुआ इन्द्राज गलत व प्रभावहीन हो गया था। वादीगण/अपीलांट ने अपने खातेदार काश्तकार होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये है जिससे वह खातेदार काश्तकार साबित होता हो। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि कि वादीगण/अपीलांट्स को विचारण न्यायालय द्वारा दावा खारिज करने व प्रतिवादी/रेस्पो0 को काउन्टर क्लेम स्वीकार किये जाने बाबत दो अलग–अलग अपीलें प्रस्तुत की जानी चाहिए थी परन्तु उनके द्वारा एक ही अपील प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया, जो पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अभिभाषक ने 2020 आर0आर0टी0 पेज 198, 2010 आर0आर0डी0 पेज 36 व 1999 आर0बी0जे0 पेज 541, 2007 आर0आर0डी0 पेज 587, 2001 आर0आर0डी0 पेज 184 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. विद्वान अति0 राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी ख0न0 329 रकबा 33 बीघा जिसका वर्तमान ख0न0 1366/440 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा बना है, को प्रमाणित करने के लिए कोई राजस्व रिकार्ड यथा मिलान क्षेत्रफल आदि प्रस्तुत नहीं किया। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि गत ख0न0 329 का रकबा 33 बीघा था परन्तु हाल निर्मित ख0न0 1366/440 का रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा है। ख0न0 329 का रकबा कम कैसे हुआ इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवादित आराजी संवत 2022 में सिवायचक दर्ज थी जिसका आवंटन दिनांक 23.6.1966 को किया गया जिसे जिलाधीश, चुरू द्वारा दिनांक 05.12.1968 को खारिज किया जा चुका है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक विवादित आराजी की खातेदारी प्रदान नहीं किये जाने बाबत कथन किया।

7. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली, राजस्व रिकार्ड व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8. पत्रावली व उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी ख0न0 329 रकबा 33 बीघा जिसका वर्तमान ख0न0 1366/440 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा बना है, को प्रमाणित करने के लिए अपीलांट द्वारा ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड यथा मिलान क्षेत्रफल आदि प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो सके की हाल ख0न0 1366/440

गत ख0न0 329 से ही निर्मित किया गया है। गत ख0न0 329 का रकबा 33 बीघा था परन्तु हाल निर्मित ख0न0 1366/440 का रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा है। ख0न0 329 की शेष भूमि का क्या खसरा नंबर बना इस बाबत अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा मिलान क्षेत्रफल आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट ने अपनी बहस में यह कथन भी किया कि विवादित आराजी वादीगण के पिता को भाई बंटवारे में मिली है। परन्तु भाई बंटवारा लिखित है या मौखिक है इस बाबत उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। विवादित आराजी जमाबंदी संवत 2022 सिवायचक दर्ज है तथा दिनांक 23.6.1966 को यह भूमि प्रतिवादी/रेस्पो0 गुलाब कंवर को विधिवत रूप से आवंटित की गयी है। जिस पर कब्जा काश्त प्रतिवादी/रेस्पो0 का नकल खसरा गिरदावरी ई0एक्स10 से 15, नकल जमाबंदी ई0एक्स0ए.4 से ई0एक्स0ए.8 से साबित होता है। संवत 2022 से 2043 तक प्रतिवादी/रेस्पो0 गुलाब कंवर गैर खातेदार काश्तकार के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी ख0न0 1366/440 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा पर अपना कब्जा काश्त व खातेदारी होने का कोई लिखित व मौखिक प्रमाण भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। दावा प्रस्तुत करते समय भी उनके द्वारा खातेदार होने व कब्जा काश्त होने का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उनका दावा साबित हो सके। यहां यह उल्लेखनीय है कि जिलाधीश चूरू के समक्ष प्रस्तुत प्रा0प0 नं0 42/79 आवंटन खारिज किये जाने बाबत, में पारित निर्णय दिनांक 30.12.1982 में प्रतिवादी/रेस्पो0 गुलाब कंवर का कब्जा साबित होना मानते हुये तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को जिलाधीश द्वारा खारिज किया है। उक्त निर्णय के आधार पर प्रतिवादी/रेस्पो0 को किये गये आवंटन की पुष्टि होती है। प्रतिवादी/रेस्पो0 निरंतर कब्जे के आधार पर गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारी थी। उक्त आधार पर ही विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी/रेस्पो0 का काउन्टर क्लेम भी स्वीकार किया है। अपीलांट/वादीगण विवादित आराजी पर न तो अपना स्पष्ट स्वत्व बता सके और ना ही किसे साक्ष्य के आधार पर अपना कब्जा काश्त साबित कर सके। राजस्व रिकार्ड व ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव के कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण अपीलांटस/वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया है। यहां यह भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि विचारण न्यायालय ने अपीलांटस/वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे में अपना निर्णय दिनांक 16.05. 2002 पारित करते हुये वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज करते हुये प्रतिवादी/रेस्पो0 के काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया है। अपीलांट द्वारा मात्र

दावे के निर्णय की अपील ही पेश की है जबकि काउन्टर क्लेम को अपीलांट ने कोई चुनौती नहीं दी। वादीगण/अपीलांटस को दावा खारिज किये जाने व काउन्टर क्लेम स्वीकार किये जाने के लिए दो अलग–अलग अपीलें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए परन्तु उनके द्वारा केवल मात्र वाद के निर्णय की अपील ही की है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार विधिसंगत नहीं है। इस बिन्दू पर विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पूर्ण रूप से चस्पा होते है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय पारित किये है जिसमें हम बिना किसी आधार के किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

9. परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय क्रमशः न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2003 एवं न्यायालय सहायक कलेक्टर, चूरू कैम्प तारानगर का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2002 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(आर.डी0मीणा)
सदस्य